# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः–138/2024

हरपालसिंह पुत्र गुरदेवसिंह, जाति जटसिख, साकिन चक 13 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

प्रार्थी

बनाम

1. जगरूपसिंह पुत्र गुरदेवसिंह, जाति जटसिख, साकिन चक 13 पीबीएन, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमनगढ़।

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम**

**–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री गुरमेल सिंह ढिल्लों | प्रार्थी |
| 2. | श्री चानण राम | अप्रार्थी संख्या 1 |
| 3. | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 2 |

**–:: निर्णय ::–**

दिनांक :– 26/09/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क रा.का.अधि मय 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से श्री गुरमेल सिंह ढिल्लो अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसमें संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

प्रार्थी की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के खाता स. 193/70 के प.न. 29/310 (35) के किला नं. 15/3/0.2156, 15/6/0.0120, 16/3/0.0054 की 0.233 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थी स. 1 की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के खाता स. 195/70 के प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0.0104, 15/7/0.013, 16/2/0.025, 16/5/0.0203, 25/2/0.025, 25/4/0.0193 की 0.113 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अपने नाम वर्णित उक्त खातेदारी कृषि भूमि के चक 13 पीबीएन के खाता स. 193/70 के प.न.29/310 (35) के किला न. 15/3/0.2156, 15/6/0.0120, 16/3/0. 0054 की 0.233 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि अप्रार्थी स.1 की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र मद स. 3 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है, मौका पर रास्ता चालू है, जिसका का उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा है प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने हेतू अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग अपनी कृषि भूमि में आने जाने के साथ साथ कृषि भूमि में कृषि यंत्र लाने ले जाने भूमि की बीजाई व कटाई हेतु कृषि यंत्र लाने ले जाने व कृषि जिन्स को इक्कठा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:45:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उक्त रास्ता स्वीकृतशुद्वा रास्ता से जाकर मिलता है। उक्त रास्ता बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी स.1 के मध्य पूर्व में हुए घराघरू बंटवारे के द्वारा रास्ता हेतू प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि दी गई थी जो तत्समय सहबन से रास्ता हेतू राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हो पाया था। प्रार्थी अप्रार्थी स.1 के नाम वर्णित प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि रास्ता के बदले कृषि भूमि की डीएलसी रेट की दुगुनी राशि के बदले प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0.0104 में 13.56 फुट चौडा व 82.5 फुट लम्बा अर्थात समस्त हिस्सा इसी के चिपते किला न. 16/5/0. 0203, 25/4/0.0193 की कुल 0.050 हैक. कृषि भूमि को पूर्वी सिंव पर चल रहे गैरमुमकिन खाला के चिपते पश्चिमी तरफ व उतर से दक्षिण की ओर लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते है तथा इसी अनुसार उक्त रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहते हैं, प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय 2/– रूपये न्यायशुल्क पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि चक 13 पीबीएन के प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0.0104 में 13.56 फुट चौडा व 82. 1 5 फुट लम्बा अर्थात समस्त हिस्सा इसी के चिपते किला न. 16/5/0.0203, 25/4/0.0193 की कुल 0.050 हैक. कृषि भूमि को पूर्वी सिंव पर चल रहे गैरमुमकिन खाला के चिपते पश्चिमी तरफ व उतर से दक्षिण की ओर लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सरिस्ता की रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता श्री चानण राम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 1 के द्वारा हाजिर होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। राजीनामा के तथ्य इस प्रकार है कि –प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में प्रार्थी / प्रथम पक्ष के नाम से तहसील पीलीबंगा प्रार्थी/प्रथम के तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के खाता स. 193/70 के प.न.29/310(35) के किला न. 15/3/0.2156, 15/6/0,0120, 16/3/0.0054 की 0.233 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थना पत्र की मद स 3 में अप्रार्थी स. 1 / द्वितीय पक्ष के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के खाता स. 195/70 के प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0. 0104, 15/7/0.013, 16/2/0. 025, 16/5/0.0203, 25/2/0.025, 25/4/0.0193 की 0.113 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी / प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स. 1 व 2 / द्वितीय पक्ष का अपास में राजीनामा हो गया है, तथा राजीनामा अनुसार तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0. 0104 में 13.56 फुट चौडा व 82.5 फुट लम्बा अर्थात समस्त हिस्सा इसके चिपते किला न. 16/5/0.0203, 25/4/0.0193 की कुल 0.050 हैक. कृषि भूमि को पूर्वी सिंव पर चल रहे गैरमुमकिन खाला के चिपते पश्चिमी तरफ व उतर से दक्षिण की ओर लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतू बिना प्रतिफल राशि सहमति प्रदान की है। उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अकंन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:26 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा में वर्णितानुसार ही प्रार्थी / प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स.1 व 2 /द्वितीय पक्ष का मुताबिक राजीनामा अनुसार तहसील पीलीबंगा के चक 13 पीबीएन के प.न. 29/310 (35) के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

किला न. 15/5/0.0104 में 13.56 फुट चौडा व 82.5 फुट लम्बा अर्थात समस्त हिस्सा इसी के चिपते किला न. 16/5/0.0203, 25/4/0.0193 की कुल 0.050 हैक. कृषि भूमि को पूर्वी सिंव पर चल रहे गैरमुमकिन खाला के चिपते पश्चिमी तरफ व उतर से दक्षिण की ओर लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में बिना प्रतिफल स्वीकृत करवाना चाहते है तथा राजीनामा अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः आज यह राजीनामा प्रार्थी /प्रथम पक्ष व अप्रार्थी स.1 /द्वितीय पक्ष ने बिना किसी दवाब व बहकाव तथा बिना किसी नशे पते के कर लिया है, राजीनामा अनुसार ही प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा उभय पक्ष को राजीनामा उभय पक्ष को पढकर सुनाया गया सुनकर उभय पक्ष द्वारा राजीनामा स्वीकार किया गया। स्वीकार होने पर हस्ताक्षर उभय किये गए। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है मुताबिक रिपोर्ट दोनों वादी एवं प्रतिवादी आदि से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ब्यानात आदि हेतु बुलाने पर इनके द्वारा बताया कि उक्त प्रकरण धारा 251 क वाद सं. 138/2024 में हमारा (वादी–प्रतिवादी) लिखित समझौता सक्षम उपखण्ड न्यायालय पीलीबंगा में हो चुका है।

बहस उभय पक्षसुनी गई। उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य रास्ता पर सहमति हो गई है ।बहस पर मनन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेजों शपथ पत्र अवलोकन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमती एवं तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**—ःआदेशः—**

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व हमारे स्वयम् द्वारा बाद पाया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति है एवं सुविधा जनक रास्ता व अत्यान्तिक रास्ता होने के कारण प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क स्वीकार किया जाकर चक 13 पीबीएन के प.न. 29/310 (35) के किला न. 15/5/0.0104 में 13.56 फुट चौडा व 82.5 फुट लम्बा अर्थात समस्त हिस्सा इसी के चिपते किला न. 16/5/0.0203, 25/4/0.0193 की कुल 0.050 हैक. कृषि भूमि को पूर्वी सिंव पर चल रहे गैरमुमकिन खाला के चिपते पश्चिमी तरफ व उतर से दक्षिण की ओर लम्बाई में गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में सहमती अनुसार बिना प्रतिफल स्वीकृत किया जाता है। आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 26/09/24 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.01 12:25:26 IST
Reason: SelfAttested